

प्रेषक,

किंजल सिंह,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,

राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश,

लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-13

लखनऊ: दिनांक 19 अप्रैल, 2018

विषय: अनुदान संख्या-52, लेखा शीर्षक-2029-001-निदेशन एवं प्रशासन-03-भूमि अध्याप्ति -सामान्य राजस्व व्यय के अंतर्गत प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 45/14(बजट)/2052-2018-19 दिनांक 3 अप्रैल, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-52, लेखा शीर्षक-2029 -भू राजस्व -001 निदेशन एवं प्रशासन-03, भूमि अध्याप्ति-सामान्य राज्य के अंतर्गत विभिन्न मानक मदों में आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि रूपए 5340.39 लाख एवं 42 अन्य व्यय (भारित) मद में प्रावधानित रूपए 5.00 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 के विभिन्न मानक मद में व्यय हेतु वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या 1/ 2018/बी-1-375/दस-2018- 231/ 2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन विभिन्न मानक मदों के अंतर्गत आवंटित करने हेतु कालम 3 में उल्लिखित धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

तालिका

(धनराशि लाख रूपय में)

मानक मद	वित्तीय वर्ष 2018- 19 में प्रावधानित धनराशि	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3
01 वेतन	4381. 90	4381. 90
02 मजदूरी	4. 50	4. 50
03 महंगाई भत्ता	438. 19	438. 19
04 यात्रा व्यय	12.00	12.00
05 स्थानांतरण यात्रा व्यय	5.00	5.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

06 अन्य भत्ते	180.00	180.00
08 कार्यालय व्यय	7.00	7.00
09 विद्युत देय्य	2.50	2.50
10 जलकर/ जल प्रभार	0.80	0.80
11 लेखनसामग्री और फार्मों की छपाई	4.00	4.00
12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	3.00	3.00
13 टेलीफोन पर व्यय	1.00	1.00
15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	5.00	5.00
16 व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2.00	2.00
17 किराया उप शुल्क और कर स्वामित्व	1.00	1.00
42 अन्य व्यय	0.20	0.20
44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.00	1.00
45 अवकाश यात्रा व्यय	2.00	2.00
46 कंप्यूटर हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर का क्रय	2.00	2.00
47 कंप्यूटर अनुरक्षण/ स्टेशनरी का क्रय	3.00	3.00
49 चिकित्सा व्यय	20.00	20.00
51 वर्दी व्यय	0.80	0.80
52 पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	263.50	263.50
कुल योग	5340.39	5340.39
42 अन्य व्यय (भारित)	5.00	5.00

2- उक्त आय व्यय में व्यवस्थित धनराशि का व्यय केवल चालू योजनाओं/मदों पर ही किया जाए और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नई मदों/ सेवाओं पर व्यय न किया जाए। साथ ही साथ मदों के क्रियान्वन में व्यय हेतु धन आवंटित करते समय व्यय स्वीकृत धनराशि की भीतर ही सीमित रखा जाए और बजट मैनुअल में निहित वित्तीय निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 3- मानक मद संख्या-52 प्राविधानित धनराशि व्यय वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 24/ 2017/ वे0आ0-2-1149/दस-04(एम)/2016, दिनांक 22 दिसंबर, 2017 में निर्धारित की गई व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा।
- 4- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल फाइनेंसियल हैंडबुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की सहमति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
- 5- उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 में दिए गए प्राविधानानुसार किए जाने वाले व्यय कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाए। इस संबंध में बी0एम0-13 प्रपत्र पर नियमित रूप से प्रति माह सूचना दो प्रतियों में शासन को अवश्य उपलब्ध कराई जाए।
- 6- उक्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा शासकीय में व्यय में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1/ 2018/बी-1-375/दस-2018- 231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा।
- 7- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-52 लेखा शीर्षक 2029- भू राजस्व-001, निदेशन एवं प्रशासन-03 भूमि अध्याप्ति-सामान्य राजस्व व्यय के नाम डाला जाएगा।

भवदीय,
किंजल सिंह,
विशेष सचिव।

संख्या 07/2018/321(1)/ एक-13-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 3- वित्त नियंत्रण अनुभाग-5।
- 4- विधायक अनुभाग-1।
- 5- राजस्व अनुभाग-6।
- 6- निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 7- गार्ड फाइल

आज्ञा से,
कपिल कुमार कटियार,
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।